

ग्रामपालय उपखण्ड अधिकारी पदम सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 690 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्थान	वर्तमान प्रतिवेदी	शुद्ध प्रतिवेदी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	14	<p>महोदय जी, निवेदन है कि गुत्ताविक बैंक आदेश कपासक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजद नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पातना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रतिवेदी  <b>बालकिशन पुत्र गोपी लाल</b>                      स्ना. देह                      रदन बड़ीदा राजस्थान                      द्वितीय ग्रामीण बैंक शाखा                      धाखा</p>	<p>शुद्ध प्रतिवेदी  <b>बालकिशन पुत्र गोपी लाल</b>                      स्ना. देह                      रदन राजस्थान ग्रामीण बैंक                      धाखा 411                      02.10.25                      तहसीलदार कपासन                      जिला-चित्तौडगढ़ (राज.)</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <b>लाखा का खेड़ा</b> में <b>नुरविद्या खेड़ा</b> खातासं 14</p> <p>में वर्तमान प्रतिवे बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

उपरोक्त कपासन  
 तहसील कपासन  
 जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

हस्ताक्षर प्रस्तावक  
 3/10/25

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 कपासन जिला-चित्तौडगढ़